

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

मुकेश

जमराज झाड़ि

दावा बाबत :- 88, 89 R.F.P.L.

मुकदमा नम्बर :- 187/2021

निर्णय दिनांक :- 10.12.2021

वादी की ओर से वकील श्री लक्ष्मी देवी निजामरी कोठी की व प्रतिवादी सं0 1/3 की ओर से वकील श्री मुकेश झाड़ि कोठी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.12.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्री लक्ष्मी देवी निजामरी कोठी के खाता सं0 92/89 के खमरा सं0 36 की 5.1350 हे०, खमरा सं0 64 की 3.8130 हे०, खमरा सं0 143 की 3.6420 हे० कुल खमरा 3 की 12.5900 हे० इसी में प्रतिवादी सं0 1 जमराज के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजपत्र रिकॉर्ड में से से इसके प्रतिवादी सं0 1 जमराज के बजाए वादी मुकेश, प्रतिवादी जमराज की बहिष्ता कराकर के खातेदार मारकर घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 3/सरोज, प्रतिवादी संख्या 3/बाबा, प्रतिवादी संख्या 4/मंजू व प्रतिवादी सं0 5/मुमिता ने आपना सम्पूर्ण एक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है, जमराज त्याग किये गये हिस्से पर पंजीपन विभाग को देर पंजीपन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी सदा ही यदि उमर इति वक के खमरा हे० की रहन उमर होने के उपरांत उमर इति इति राजपत्र रिकॉर्ड में सम्मिलित कराया गया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
भादरा जिला-रुनमानगढ़  
कैम्प  
शकुन्तला